प्रेस नोट-दिनांकः 09.11.2024

थाना चकिया, जनपद चन्दौली

□थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान को दौरान एक पिकअप में वध हेतु क्रूरता पुर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 07 राशि गोवंश को किया गया बरामद।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अवैध शराब / गोतस्करों के विरूद्ध चलाये जा अभियान में दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) अनिल कुमार यादव एवं क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया के नेतृत्व में तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा एक टाटा योद्धा पिकअप वाहन संख्या UP65JT9256 से 07 राशि गोवंशीय बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना चकिया पर मु०अ०सं० 207/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि० व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम व 318(4)/319 (2) बीएनएस में पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही- आज दिनांक 09.11.2024 को थाना चकिया पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप में कुछ संदिग्ध वस्तु मिर्जापुर, की तरफ से सिकन्दरपुर मोड़ के रास्ते होते हुये बिहार की तरफ ले जाया जा रहा है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा ग्राम विजडार में बैरिकेडिंग लगाकर बिहार के तरफ जाने वाले संदिग्ध वाहनो की चेकिंग करना प्रारंभ किया गया। कुछ देर बाद पुलिस चेकिंग (बैरिकेटिंग) प्वाइंट से कुछ दुर पहले ही एक पिकअप एकांत में खडी दिखाई दी संदिग्धता के आधार पर मौजूदा पुलिस टीम द्वारा उक्त पिकअप वाहन की तलाशी ले गयी तो उक्त वाहन में गोवंश लदे हुए पाये गये। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसगंत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण-

1.07 राशि गोवंशीय पशु
2.01 टाटा योद्धा पिकअप वाहन संख्या UP65JT9256

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 गंगाधर मौर्य थाना चकिया जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 भग्गू सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।
4. हे0का0 दीपचन्द्र गिरी थाना चकिया जनपद चन्दौली।
5. हे0का0 जलभरत यादव जनपद चन्दौली।
6. का0 सत्यप्रकाश राय थाना चकिया जनपद चन्दौली

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

➡थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र अन्तर्गत चोरी करने वाले एक अभियुक्त से चोरी का रुपया बरामद कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु वांछित/वारण्टीयों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार मिश्रा थाना बलुआ के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2024 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस के अभियुक्त बसंत पुत्र स्व0 लालमन निवासी ग्राम जमालपुर थाना सकलडीहा जिला चन्दौली को आज दिनांक 09.11.2024 वहद ग्राम रामगढ महराजगंज पुलिया से अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.10.2024 की रात्रि में वादी अजय कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 मुसाफिर पाण्डेय निवासी ग्राम व पोस्ट रामगढ थाना बलुआ जिला चन्दौली के दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई थी। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बलुआ पर मु0अ0सं0 198/2024 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर थाना स्थानीय द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गयी।

नाम व पता अभियुक्तगण-

1.बसंत पुत्र स्व0 लालमन निवासी ग्राम जमालपुर थाना सकलडीहा जिला चन्दौली उम्र 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.चोरी का 4260/-रुपया नगद बरामद

बरामदगी एंव गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार मिश्रा थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 शूर्यप्रताप सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3.हे0का0 राजबहादुर सरोज थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4.का0 अल्ताभ अहमद थाना बलुआ जनपद चन्दौली

यातायात पुलिस चंदौली

□यातायात माह नवंबर में यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चलाया वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 1099 वाहनों का चालान करते हुए 13,36,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।
□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस के संचालित ऑटो का भी किया जा रहा चालान
□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा यातायात माह नवंबर के अवसर पर जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 1099 वाहनों का चालान करते हुए 13,36,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-
क्रम संख्या   यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-688
2.नो पार्किंग-132
3.तीन सवारी-65
4.सीट बेल्ट-40
5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-16
6.खतरनाक ढंग से वाहन चलाना-05
7.काली फिल्म-03
8.गलत नंबर प्लेट-55
9.सेक्शन 3 तथा 4 का उल्लघंन-03
10-बिना वैलिड फिटनेस के वाहन चलाना-05
11.मांगने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना-58

12.मांगने पर परमिट सर्टिफिकेट न दिखा पाना/ परमिट शर्तों का उल्लंघन-10

13.वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना-02

14.मदिरा पीकर वाहन चलाना-02

15.प्रेशर हॉर्न बेवजह हॉर्न बजाना-01

16.ओवर स्पीड-01

17.मांगने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखा पाना-03

18.मांगने पर प्रदुषण सर्टिफिकेट न दिखा पाना-06

19.वाहन में अधिक सवारी बैठाना-02

20.सीज-02

यातायात नियमों के उलंघन में दिनांक 09.11.2024 को यातायात माह नवंबर के शुभारंभ के अवसर पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-1099

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-13,36,500/-₹ (तेरह लाख छत्तीस हजार पांच सौ रुपए)